कोविड-19 से प्रभावित जिलों में स्वंयसेवकों / संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिऐ जिला कलेक्टरों को निर्देश

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
SS-30-04-2020-05.docx (http://103.203.138.54/news/206257/document/SS-30-04-2020-05.docx)

DESCRIPTION

कोविड-19 से प्रभावित जिलों में स्वंयसेवकों / संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिऐ जिला कलेक्टरों को निर्देश

जयपुर, 30 अप्रेल। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 जैसी भीषण आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य के समस्त जिला कलक्टर्स द्वारा स्वंयसेवकों /संस्थाओं की सहायता से जिलों को उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु भारत के नागरिकों से इस महामारी में जो भारतीय नागरिक निःस्वार्थ भाव से सेवा देना चाहते हैं वे व्यक्ति भारत सरकार द्वारा बनाई गई वेबसाइट ndma.gov.in/EN/ पर Join the War against Covid-19 के अन्त्रगत स्वंयसेवकों/संस्थाओं के रूप में अपनी सूचना दर्ज कर सकते हैं।

उक्त सूचना को आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, सचिवालय, जयपुर द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट ndma.gov.in से (स्वंयसेवक/संस्था) की सूचना डाउनलोड कर राजस्थान के समस्त जिलों को प्रति दिन ई-मेल द्वारा प्रेषित की जाती है। ताकि आवश्यकता पड़ने पर जिला कलक्टरों द्वारा उक्त डाटा का उपयोग करते हुए उन स्वंयसेवकों/संस्था को कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

SUPPORTING IMAGES